127

न्यायालय श्रीमान समक्ष सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

निग 1876-I-16

संजीव कुमार पिता रामशंकर खरे निवासी ग्राम महेवा तहसील अमानगंज जिला पन्ना म.प्र. ....आवेदक

बनाम

1. राम शंकर खरे तनय श्री बैजनाथ खरे
2. केशकली वेवा श्री प्रेमनारायण खरे
3. अक्षय पिता श्री प्रेमनारायण खरे
4. रूचि पिता श्री प्रेमनारायण खरे
5. वर्षा पिता श्री प्रेमनारायण खरे सभी निवासी–ग्राम महेवा तहसील अमानगंज जिला पन्ना म.प्र. ....अनावेदकगण

श्री प्रवीण खरे अभि. द्वारा आज दि 10-6-16 को प्रस्तुत
वाचक दि 10-6-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

उपरोक्त आवेदन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी गुनौर जिला पन्ना म.प्र. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 11/अपील/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25.05.16 के विरूद्ध यह निगरानी निम्नलिखित आधारों सहित प्रस्तुत करता है

माननीय,

1. यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार कि आराजी खसरा क्रमांक 4461, 4512, 4513/1, 4608, 5651, 5652, 5653, 5654, 5655, 5768/1, 5769, 5772, 5773, 5856, 5857, 5858, 5859, 5879, 5892, कुल किता 19 कुल रकवा

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– निग0 1876–एक/16 जिला – पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.9.16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/अपील/अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 25–5–16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम महेबा स्थित प्रश्नाधीन भूमि की भूमिस्वामी मृतक बड़ी बहू बेवा सुन्दर लाल कायस्थ थे । उसकी मृत्यु के उपरांत विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 56 में पारित आदेश दिनांक 13–10–2013 द्वारा अनावेदकों का वारिसाना नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जो अनुविभागीय अधिकारी ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए हैं कि मृतक भूमिस्वामी द्वारा आवेदक के पक्ष में दिनांक 20–5–2004 को वसीयत की गई थी । उक्त भूमि के संबंध में पूर्व से उसी न्यायालय में नामांतरण पंजी कं. 42 के आधार पर रा0 प्र0 कं0 47/अ–6/2013–14 प्रचलित था जिसमें दिनांक 30.10.14 तक कार्यवाही जारी रही किंतु इसी दौरान पृथक से हल्काक पटवारी द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 56 में वारिसाना के आधार पर नामांतरण कर दिया गया जो विधिक प्रकिया के विपरीत था । विचारण न्यायालय द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक जिसके पक्ष में वसीयत है उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं	

निग. 1876-एम/16 (पन्ना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिया गया । यह भी कहा गया कि नामांतरण पंजी में मृतक प्रेमनारायण की द्वितीय पत्नी व संतान अनावेदक कमांक 2 लगायत 5 का उल्लेख किया गया है परंतु उनकी प्रथम पत्नी श्रीमती आशाराम एवं उनके पुत्र राजू का कोई वर्णन नहीं है । प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का निरंतर कब्जा रहा है । आवेदक द्वारा नामांतरण हेतु वसीयत की पति पटवारी को दी थी परंतु उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । 4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा सभी वारिसों का नामांतरण स्वीकार किया गया है जिसमें आवेदक के पिता अनावेदक कं. 1 भी शामिल हैं । तथाकथित वसीयत बाद में तैयार की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । तहसील के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि भूमिस्वामी मृतक खातेदार बड़ीबहू के मृत होने के कारण पटवारी ने नामांतरण पंजी कमांक 42 दिनांक 12-6-13 के द्वारा वारिसाना निराकरण करने हेतु न्यायालय तहसीलदार, अमानगंज को प्रतिवेदन पेश किया है जिस पर से तहसीलदार ने उसे 29-6-14 को न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं इससे यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संबंध में प्रकरण पूर्व से लंबित था ऐसी स्थिति में पुनः नामांतरण पंजी कमांक 56 द्वारा वारिसाना नामांतरण करना न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता । चूंकि इस प्रकरण में आवेदक के पक्ष में मृतक भूमिस्वामी द्वारा वसीयतनामा संपादित किया गया है इस कारण वह प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है और संहिता की धारा 109-110 के तहत बने नामांतरण नियमों के अंतर्गत हितबद्ध	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक– निग0 1876–एक/16 जिला – पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पक्षकार को व्यक्तिशः सूचना दिया जाना आवश्यक है जबकि इस प्रकरण में संहिता की धारा 109–110 के तहत बने नामांतरण नियमों का पालन किया जाना भी स्पष्ट नहीं है । इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में यह तथ्य भी आया है कि मृतक प्रेमनारायण के अन्य वारिस उनकी प्रथम पत्नी श्रीमती आशाराम एवं उनके पुत्र राजू भी हैं किंतु उनका कोई हवाला सजरे में नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतया अवैधानिक होकर निरस्त किए जाने योग्य है जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि की गंभीर भूल की गई है । अतः प्रकरण की समग्र स्थिति को देखते हुए इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को विधिवत कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित किया जाये । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, अमानगंज को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक एवं सभी हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामे के संबंध में विचार करते हुए गुणदोष पर पुनः आदेश पारित किया जाये उभयपक्ष सूचित हों । अभिलेख वापिस हों । सदस्य	